

उत्तराखण्ड शासन
आवास अनुभाग-1
संख्या: 497/V-1/2021-79(आ0)/2016टी0सी0
देहरादून दिनांक 17 अगस्त, 2021

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड भूसम्पदा (विनियमन तथा विकास)(सामान्य) नियमावली, 2017 आवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या-481 V-2-2017-79(AWAS)/2016T.C. ,दिनांक 28 अप्रैल, 2017 द्वारा निर्गत की गयी है।

2- उत्तराखण्ड भू-सम्पदा नियामक प्राधिकरण (रेरा) की वैबसाईट में अपलोड की गयी उत्तराखण्ड भूसम्पदा (विनियमन तथा विकास)(सामान्य) नियमावली, 2017 एवं शासन स्तर से स्वीकृत उक्त नियमावली, 2017 की मूल प्रति में भिन्नता परिलक्षित हुई है। सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि शासन स्तर से उक्त नियमावली, 2017 के मूल आलेख्य की स्वच्छ प्रति निर्गत की जाय।

3- अतः तदनुसार उत्तराखण्ड भूसम्पदा (विनियमन तथा विकास)(सामान्य) नियमावली, 2017 की स्वच्छ प्रति संलग्न है। उक्त नियमावली में अंकित प्राविधानों को स्वच्छ प्रति के अनुसार ही पढ़ा जाय।

संलग्नक:-यथोपरि।

(शैलेश बगौली)
सचिव।

संख्या: 497/V-1/2021-79(आ0)/2016टी0सी0, तददिनांकित।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/सचिव (प्र0), उत्तराखण्ड शासन।
3. मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।
4. अपर मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।
5. आयुक्त, गढवाल/कुमायूं, पौड़ी/नैनीताल।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. समस्त उपाध्यक्ष, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, उत्तराखण्ड।
8. उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।
9. उपाध्यक्ष, हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार।
10. सचिव, उत्तराखण्ड भूसम्पदा नियामक प्राधिकरण, देहरादून।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(लक्ष्मण सिंह)
- संयुक्त सचिव।